

कार्यालय कलेक्टर/लाइसेन्स प्राधिकारी, सीतापुर।
संख्या-3145/जि0आ0अ0/व्यवधान/ई-लाटरी/2018-19/सीतापुर दि-26/10.2018

* संशोधित विज्ञापित *

वर्ष 2018-19 के लिये मध्य सत्र में देशी शराब की फुटकर दुकान-मदिया, जनपद-सीतापुर का पुनर्व्यवस्थापन हेतु संशोधित कार्यक्रम। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रसंख्या-38198-273/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक इलाहाबाद: 24.10.2018 द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये मध्यसत्र में व्यवस्थापन के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अतः अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञापित संख्या-3121 दिनांक 21.10.2018 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। ई-लाटरी के लिये आवेदन हेतु संशोधित समय सारिणी निम्नवत् है :-

क्रमसं०	मध्य सत्र	तिथि
1	देशी मदिरा दुकान-मदिया की ई-लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने हेतु तिथि व समय	दि०-28.10.18 के प्रातः 11:30 बजे से
2	मध्य सत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि व समय	दि०-31.10.18 को सांय 06:00 बजे तक
3	आवेदनों का परीक्षण	दि०-01.11.2018
4	ई-लाटरी की तिथि, समय व स्थल	दि०-05.11.18 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार, सीतापुर।

ई-लाटरी हेतु शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी एवं निर्गत विज्ञापित को उपरोक्तानुसार उस सीमा तक संशोधित समझा जाये। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर व सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 9454466288, पर सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला आबकारी अधिकारी,
सीतापुर।

कलेक्टर/लाइसेन्स प्राधिकारी,
सीतापुर।

सम्पादक,

दैनिक समाचार पत्र,

दैनिक जागरण

अनुसंध है कि उपरोक्त आवश्यक सूचना निर्धारित न्यूनतम सरकारी दर पर स्थानीय पृष्ठ पर दिनांक 26.10.2018 को प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित कर बिल मुगतान हेतु पेपर कटिंग के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
सीतापुर।

सेवासे,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
सीतापुर।

महोदय,

कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित विज्ञापित
जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाने का
कष्ट करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
सीतापुर।